



लखनऊ विश्वविद्यालय कार्यालय टिप्पणी तथा आदेश

फाइल संख्या

कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जाति के जिन छात्र/ छात्राओं ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (सत्र 2024-25) हेतु कैशियर कार्यालय में आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट सम्बन्धित प्रपत्रों को जमा करने के उपरान्त काउन्टर पर बायोमैट्रिक नहीं हुआ है, ऐसे समस्त छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार आवेदन पत्र अग्रसारित होने की प्रक्रिया में आवेदन कर्ता की बायोमैट्रिक की अनिवार्यता की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न तालिकानुसार कैशियर कार्यालय में काउन्टर पर आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात प्राप्त रिसीविंग पर उल्लिखित रिसीविंग नम्बर के अनुसार कुलसचिव कार्यालय में छात्रवृत्ति अनुभाग में बायोमैट्रिक लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो पायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र/ छात्रा की होगी -

वर्ग	दिनांक	रिसीविंग नं०	समय
सामान्य	12-12-2024	1101 से 1200	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	13-12-2024	1201 से 1300	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	14-12-2024	1301 से 1400	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	14-12-2024	1401 से 1500	02.00 p.m. से 4.30 p.m.के मध्य
अनु०जाति/ अनु०जनजाति	12-12-2024	801 से 900	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य
अनु०जाति/ अनु०जनजाति	13-12-2024	901 से 1000	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य

नोट : सामान्य वर्ग के रिसीविंग नं० 01 से रिसीविंग नं० 1100 तक एवं अनु०जाति/ अनु०जनजाति के रिसीविंग नं० 01 से रिसीविंग नं० 800 तक के समस्त छात्र/ छात्राएं जिन्होंने पूर्व में घोषित निर्धारित तिथि एवं समयानुसार बायोमैट्रिक नहीं कराया है, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऐसे समस्त छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.12.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलसचिव कार्यालय में छात्रवृत्ति अनुभाग में बायोमैट्रिक लगाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं हो पायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र/ छात्रा की होगी।

आज्ञा से -
नोडल ऑफीसर (छात्रवृत्ति)